हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख हुक्म	
4/11/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कोर्ट समक्ष से तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण से बहस सुनी। आदेश अलग से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहसील जावे। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णित हुआ होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.28 17:05:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुढ़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 128/2022

प्रार्थीगण :–

1. हीराराम पुत्र राणाराम
2. कोहलाराम पुत्र राणाराम
3. तिलाराम पुत्र पूनमाराम
4. दूदाराम पुत्र पूनमाराम
5. धापूदेवी पत्नी पूनमाराम
6. बाबूराम पुत्र पूनमाराम
7. मंगलाराम पुत्र राणाराम
8. अणसी पत्नी भैराराम
9. हडमताराम पुत्र नानजीराम
   जाति मेघवाल निवासी मंगले की बेरी, नया कुआ तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. कोहलाराम पुत्र कानाराम
2. गजरो पत्नी कानाराम
3. ठाकराराम पुत्र कानाराम
4. हरचन्दराम पुत्र कानाराम जातियान मेगवाल
5. अणसीदेवी पत्नी नानगाराम
6. दमीदेवी पत्नी पोलाराम
7. दलूदेवी पत्नी पेमाराम
8. नानगाराम पुत्र निम्बाराम
9. पेमाराम पुत्र निम्बाराम
10. पोलाराम पुत्र निम्बाराम
11. करनाराम पुत्र हरचंदराम
12. खेताराम पुत्र हरचंदराम
13. घमण्डाराम पुत्र हरचंदराम
14. धन्नाराम पुत्र हरचंदराम
15. भूरारामपुत्र हरचंदराम
16. मूलाराम पुत्र हरचंदराम
17. लक्ष्मीदेवी पत्नी हरचंदराम
18. हरदानराम पुत्र हरचंदराम
19. वगताराम पुत्र राजूराम
20. शेराराम पुत्र राजूराम
21. खेमाराम पुत्र राजूराम
22. धन्नाराम पुत्र खेताराम
    जातियान जाट निवासी मंगले की बेरी तहसील नौखडा
23. उमाराम पुत्र जेठाराम
24. किशनाराम पुत्र हिमताराम
25. जीयादेवी पत्नी हिमताराम
26. डूंगराराम पुत्र हिमताराम
27. नगाराम पुत्र हरजीराम
28. भगाराम पुत्र मंगलाराम
29. भंवराराम पुत्र मंगलाराम
30. भोमाराम पुत्र मंगलाराम
31. रामाराम पुत्र मंगलाराम
32. जहरोदेवी पत्नी मंगलाराम
33. हुकमाराम पुत्र हिमताराम जातियान मेघवाल
34. खूमाराम पुत्र हेमाराम
35. खरताराम पुत्र दीपाराम
36. ताजाराम पुत्र हेमाराम
37. दूदाराम पुत्र दीपाराम
38. पूरोदेवी पत्नी दीपाराम
39. मगाराम पुत्र दीपाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.28 17:05:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

40. मेहाराम पुत्र दीपाराम
41. रतनाराम पुत्र हेमाराम
42. लाभुराम पुत्र दीपाराम
43. विशनाराम पुत्र दीपाराम जातियान जाट
44. खेराजराम पुत्र मोटाराम
45. चूनाराम पुत्र भेराराम
46. चम्पालाल पुत्र भैराराम
जाति मेगवाल नया कुआ मंगले की बेरी तहसील नौखडा जिला बाड़मेर
47. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नौखडा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. **श्री बाबूलाल विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 04.11.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा मंगले की बेरी के खेत खसरा नम्बर 41/1 रकबा 4.7558 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 41/3 रकबा 11.4688 हैक्टेयर एवं मौजा नया कुआ के खेत खसरा नम्बर 97/3 रकबा 3.2213 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 97/1 रकबा 4.2978 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.28 17:05:30 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखडा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद सरहद मौजा मंगले की बेरी के खेत खसरा नम्बर 41/1 रकबा 4.7558 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 41/3 रकबा 11.4688 हैक्टेयर एवं मौजा नया कुआ के खेत खसरा नम्बर 97/3 रकबा 3.2213 हैक्टेयर,

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

खसरा नम्बर 97/1 रकबा 4.2978 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखडा को 1000/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखडा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक ...11/11/22..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.28 17:05:30 IST
Reason: SelfAttested